



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266969
CG-DL-E-16102025-266969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]
No. 675]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.129.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और ये भविष्यलक्षी रूप से, अर्थात्, ऐसे मामलों को लागू होंगे, जिनमें चालू समुत्थान के रूप में विक्रय द्वारा समापन प्रारंभ नहीं हुआ है।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 31क के उप-विनियमन (1) के खंड (च) का लोप किया जाएगा।
- मूल विनियमों के विनियम 32 में,
(i) खंड (ग) में, ";" के पश्चात् "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
(ii) खंड (घ) में, ";" के स्थान पर "ः" चिह्न रखा जाएगा।

- (iii) खंड (ड) और खंड (च) का लोप किया जाएगा।
 (iv) परन्तुक में, “(च)” अक्षर और चिह्न के स्थान पर “(घ)” अक्षर और चिह्न रखे जाएंगे।
 4. मूल विनियमों में, विनियम 32क का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./409/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 82, तारीख 29 जनवरी, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी. एन./आर.ई.जी.121, तारीख 28 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2025

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG129.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2025.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall apply prospectively, i.e. to cases where liquidation by sale as going concern has not commenced.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 31A, in sub-regulation (1), clause (f) shall be omitted.
3. In the principal regulations, in regulation 32,
 (i) in clause (c), after the mark “;”, the word “or” shall be inserted.
 (ii) in clause (d), for the mark “;” the mark “:” shall be substituted.
 (iii) clauses (e) and (f) shall be omitted.
 (iv) in the proviso, for the letter and symbol “(f)”, the letter and symbol “(d)”, shall be substituted.
4. In the principal regulations, regulation 32A shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./409/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. IBBI/2024-25/GN/REG121 dated the 28th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 82 on 29th January, 2025.